कार्यालय, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून –248001
ई–मेलः ayushmanuttarakhand@gmail.com

संख्याः अ0आ0उ0यो/2019–20/503 दिनांक 22 अगस्त, 2019

बृजेश हॉस्पिटल, रामनगर को निर्गत "कारण बताओ नोटिस" संख्या 226 दिनांक 01.06.2019 एवं संख्या 231 दिनांक 03.06.2019 के सन्दर्भ में प्राप्त प्रतिउत्तर के निस्तारण के सम्बन्ध में

पत्र संख्या अ0आ0उ0यो0/2019–20/226 दिनांक 01 जून, 2019 एंव पत्र संख्या अ0आ0उ0यो0/2019–20/231 दिनांक 03 जून, 2019 के द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना–राज्य स्वास्थ्य अभिकरण, के अन्तर्गत सूचीबद्ध चिकित्सालय बृजेश हॉस्पिटल, रामनगर को कतिपय आरोपों के सम्बन्ध में "कारण बताओ नोटिस" निर्गत किया गया। इस नोटिस के क्रम में बृजेश हॉस्पिटल, रामनगर द्वारा अपना प्रतिउत्तर मय सलंग्नों सहित प्रेषित किया गया, जो इस कार्यालय को दिनांक–10.06.2019 को प्राप्त हुआ। बृजेश हॉस्पिटल, रामनगर द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर व अभिलेखों का अध्ययन एवं परीक्षण करने उपरांत विश्लेषण/निष्कर्ष निम्न प्रकार से है:–

कारण बताओ नोटिस संख्या 226/01.06.2019 के आरोप संख्या–01

आरोप संख्या 01 के सम्बन्ध में हॉस्पिटल के प्रतिउत्तर का अभिलेखों के आधार पर अध्ययन एवं परीक्षणोपरान्त उत्तर संतोषजनक पाये जाने के आधार पर यह आरोप ड्रॉप किया जाता है।

कारण बताओ नोटिस संख्या 226/01.06.2019 के आरोप संख्या–02

बृजेश हॉस्पिटल, रामनगर में उपचारित 18 मरीजों से दूरभाष पर (Recorded) वार्ता करने उपरान्त उनके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि बृजेश हॉस्पिटल, रामनगर द्वारा रोग का निःशुल्क (cashless) ईलाज न करते हुए उनसे धनराशि ली गई है।

Table: List of cases where ilegal demand of money from patients

S No	Case No	Admission Date	Claim Amount	Paid/Un paid	Telephonic verification for demanding illegal money by patients
1.	CASE/HOSP5P01962/S7224	12/02/2019 12:00:00 AM	18000	Paid	YES
2.	CASE/HOSP5P01962/D11688	27/02/2019 12:00:00 AM	20000	Paid	YES
3.	CASE/HOSP5P01962/D8540	16/02/2019 12:00:00 AM	19800	Paid	YES
4.	CASE/HOSP5P01962/D20817	20/03/2019 12:00:00 AM	3600	Paid	YES
5.	CASE/HOSP5P01962/D8638	17/02/2019 12:00:00 AM	16200	Paid	YES
6.	CASE/HOSP5P01962/S4736	01/02/2019 12:00:00 AM	25000	Paid	YES
7.	CASE/HOSP5P01962/D15252	10/03/2019 12:00:00 AM	40000	Paid	YES
8.	CASE/HOSP5P01962/D21118	20/03/2019 12:00:00 AM	22000	Paid	YES
9.	CASE/HOSP5P01962/D7246	12/02/2019 12:00:00 AM	10000	Paid	YES
10.	CASE/HOSP5P01962/S5603	05/02/2019 12:00:00 AM	3600	Paid	YES
11.	CASE/HOSP5P01962/D12798	02/03/2019 12:00:00 AM	15000	Paid	YES
12.	CASE/HOSP5P01962/D12085	28/02/2019 12:00:00 AM	25000	Paid	YES
13.	CASE/HOSP5P01962/S3659	26/01/2019 12:00:00 AM	12000	Paid	YES
14.	CASE/HOSP5P01962/D5028	02/02/2019 12:00:00 AM	40000	Paid	YES

22.08.19

15.	CASE/HOSP5P01962/D15619	11/03/2019 12:00:00 AM	27500	Paid	YES
16.	CASE/HOSP5P01962/D5594	05/02/2019 12:00:00 AM	20000	Paid	YES
17.	CASE/HOSP5P01962/D16602	13/03/2019 12:00:00 AM	22000	Paid	YES
		TOTAL	**339700**		
18.	CASE/HOSP5P01962/E10908	25/02/2019 12:00:00 AM	19800	Unpaid	YES
		TOTAL	**19800**		

इसके अतिरिक्त 02 मरीजों द्वारा लिखित रूप से शिकायत की गयी है कि बृजेश हॉस्पिटल, रामनगर द्वारा उपचार हेतु अवैध रूप से शुल्क लिया गया है। (CASE/HOSP5P01962/D15619 No. Pre-auth aporoved amount Rs. 27500/- Paid, CASE/HOSP5P01962/D8540 No. Pre-auth aporoved amount Rs. 19800/- Paid)

इससे स्पष्ट होता है कि चिकित्सालय द्वारा तालिका में वर्णित समस्त रोगियों से जाँचों, दवाईयों एवं सर्जरी हेतु अवैध रूप से शुल्क लिया गया है। साथ ही उपरोक्त रोगियों के क्लेम्स भी टी0एम0एस0 में भुगतान हेतु प्रस्तुत कर दिये गये हैं। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत रोगी को कैशलेस सेवाएं दी जाती है। बृजेश हॉस्पिटल, रामनगर तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुये अनुबन्ध के सेक्शन 8, पैरा 2 एवं एनेक्सर 5, पैरा 1ए के अनुसार

"Section 8: General responsibilities & obligations of the EHCP,
Para 2: The EHCP shall provide **cashless facility** to the beneficiary in strict adherence to the provisions of the agreement."
"Annex 5: Process of Delivery of Benefits, Claim reporting and Submission
Para 1a. Cashless Access of Services (a) The ATAL AYUSHMAN UTTARAKHAND beneficiaries shall be provided treatment free of cost for all such ailments covered under the Scheme within the limits/ sub-limits and benefit limit, i.e., not specifically excluded under the Scheme."

बृजेश हॉस्पिटल, रामनगर द्वारा लाभार्थियों से अवैध रूप से धनराशि वसूल करने के साथ–साथ क्लेम पैकेज के अनुसार क्लेम की धनराशि भी प्राप्त करने हेतु टी0एम0एस0 में क्लेम हेतु प्रेषित कर दी गई है जो कि अनुबंध का उल्लंघन, धोखाधड़ी एवं अवैध धनराशि की वसूली इंगित करता है।

कारण बताओ नोटिस संख्या 226/01.06.2019 के आरोप संख्या–02 का प्रतिउत्तरः–

Annex 5: Process of Delivery of Benefits, Claim reporting and Submission

1. Cashless Access of Services

a. The ATAL AYUSHMAN UTTARAKHAND beneficiaries shall be provided treatment free of cost for all such ailments covered under the Scheme within the limits/ sub-limits and benefit limit, i.e., not specifically excluded under the Scheme. As per the show cause notice issued by the SHA, the list of cases for which hospital is being accused for charging demand of money is as below:

S.NO	Case No	Patient Name	Admission Date
1	CASE/HOSP5P01962/S7224	Jahid Hussain	12/02/2019 12:00:00 AM
2	CASE/HOSP5P01962/D11688	Binni Deorari	27/02/2019 12:00:00 AM
3	CASE/HOSP5P01962/D8540	Meena Devi	16/02/2019 12:00:00 AM
4	CASE/HOSP5P01962/D20817	Prabha	20/03/2019 12:00:00 AM
5	CASE/HOSP5P01962/D8638	Maninder Singh	17/02/2019 12:00-00 AM
6	CASE/HOSP5P01962/S4736	Harsvaroop	01/02/2019 12:00.00 AM
7	CASE/HOSP5P01962/D15252	Maksudan	10/03/2019 12:00:00 AM
8	CASEIHOSP5P01962/D21118	Dani Ram	20/03/2019 12:00.00 AM
9	CASE/HOSP5P01962/D7246	Ramesh Chandra	12/02/2019 12:00:00 AM
10	CASE/HOSP5P0196255603	Kishan Singh	05/02/2019 12.00:00 AM

11	CASE/HOSP5P01962/D12798	Lila Devi	02/03/2019 12:00:00 AM
12	CASE/HOSP5P01962/D12085	Karam Singh	28/02/2019 12:00:00 AM
13	CASE/HOSP5P01962/S3659	Daksha Rathour	26/01/2019 12:00:00 AM
14	CASE/HOSP5P01962/D5028	Dinesh Lai	02/02/2019 12:00:00 AM
15	CASE/HOSP5P01962/D15619	Mohd Salman	11/03/2019 12:00:00 AM
16	CASE/HOSP5P01962/D5594	Mehroonishan	05/02/2019 12:00:00 AM
17	CASE/HOSP5P01962/D16602	Nasareen Jahan	13/03/2019 12:00:00 AM
18	CASE/HOSP5P01962/E10908	Bhola Singh	25/02/2019 12:00:00AM

In respect to the above mentioned cases we would like to state that as per the terms and conditions of the contract the hospital has not charged any money from any of the patients. The hospital has a check process in place to tab on the cases if any money has been taken from the patient by any of the hospital staff in the name of the hospital. During this check process the patient/attendant is asked to make an affidavit claiming that no money has been taken from the patient by the hospital. If money was taken from any of the patient by the hospital staff in the name of hospital the patient would have raised the complaint at this stage and thus an internal enquiry would have been conducted and the concerned staff would have been punished and discharged from her/his duties and the money would have been returned to the patient but none of the patient has ever raised such a complaint. The affidavit of each of the patient above are attached as **Annexure I.**

कारण बताओ नोटिस संख्या 226/01.06.2019 के आरोप संख्या–02 के प्रतिउत्तर का विश्लेषण एवं निष्कर्षः–

बृजेश हॉस्पिटल द्वारा दिया गया उपरोक्त प्रतिउत्तर व बृजेश हॉस्पिटल द्वारा प्रेषित किये गये मरीजों के सहमति पत्र से इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि बृजेश हॉस्पिटल द्वारा मरीजों व उनके रिश्तेदारों से उपचार, दवाईयों व जाँचों के एवज में धन की मांग न की गयी हो और धनराशि नहीं ली गयी हो। हॉस्पिटल द्वारा दिये गए उत्तर में यह कहा गया है कि उक्त मरीजों से एफिडेविट प्राप्त हुआ है, पूर्ण रुप से असत्य है। लाभार्थियों के सादे कागज पर पहले से ही बनाए गए आलेख पर मात्र हस्ताक्षर हैं। हॉस्पिटल का उत्तर विश्वसनीय नहीं है और यह मात्र आरोप के बचाव हेतु किया गया (Managed) कृत्य प्रतीत होता है क्योंकि 104 टोल फ्री हैल्पलाइन नम्बर पर उक्त 18 केसेस में मरीजों व उनके रिश्तेदारों से की गयी वार्ता के सम्बन्ध में 104 कॉल सेन्टर द्वारा दिनांक 14.04.2019 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी जिसकी कॉल रिकार्ड दर्ज है। इसके पश्चात पुनः 03.06.2019 को उक्त केसेस के सम्बन्ध में मरीजो एवं उनके रिश्तेदारो से सत्यापन हेतु वार्ता की गयी जिसकी कॉल रिकॉर्ड भी दर्ज है।

बृजेश हॉस्पिटल, रामनगर, नैनीताल में उपचारित लाभार्थी व उनके तिमारदारों से हुई 104 टोल फ्री नं0 पर वार्ता की कॉल रिकॉडिंग का ट्रांसक्रिप्शन–

1. **श्री भोला सिंहः–** श्री भोला सिंह के भतीजे द्वारा अवगत कराया गया है कि बृजेश हॉस्पिटल द्वारा आयुष्मान कार्ड दिखाने से पहले हमसे शुल्क लिया गया है। डिस्चार्ज करने के बाद कुछ के चार्ज हमसे लिए गये, उसके बिल मेरे पास है।
2. **बिन्नी देवरानी, लखनपुर, रानीखेत रोड़, नैनीतालः–** मरीज द्वारा अवगत कराया गया कि उनके पेट में गाँठ का ऑपरेशन बृजेश हॉस्पिटल द्वारा किया गया था। मरीज का अटल आयुष्मान कार्ड होने

के उपरान्त भी मरीज से ऑपरेशन के समय रूपये 9066/–, पैथोलॉजी जॉच के रूपये 1200/– व चिकित्सालय से डिस्चार्ज करते समय रूपये 10,000/–(कुल रूपये 20,266–00) लिये गये। डाक्टर द्वारा मरीज को बताया गया कि उनका अटल आयुष्मान कार्ड रिजेक्ट हो गया है, इसलिए आपसे शुल्क लिया जा रहा है।

3. **दक्षा राठौरः–** मरीज के तिमारदार द्वारा अवगत कराया गया है उनका आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद बृजेश हॉस्पिटल द्वारा कार्ड लेकर भी उनसे पैसे लिए गये थे। 5 दिनों तक भर्ती रहने के बाद भी उनके द्वारा दवाईयों के पैसे लिए गये थे। मरीज द्वारा अवगत कराया गया है कि ऑपरेशन के पैसे लिए गये थे इसके बारे में मुझे पता नहीं है। डाक्टर द्वारा बताया गया कि 6 माह बाद फिर से ऑपरेशन करना है। पुनः दूरभाष पर वार्ता करने के पर दक्षा राठौर के पिता द्वारा बताया गया कि मरीज का दिनांक 26.01.2019 को एक्सीडेंट होने के उपरान्त बृजेश हॉस्पिटल में दक्षा को भर्ती किया गया गया जहॉ उसके जबडे का ऑपरेशन करके उसमें प्लेट डाली गयी थी। अटल आयुष्मान कार्ड के बावजूद उन्होने 4,000+17,500+10,000=31,500/- रूपये का भुगतान उपचार के एवज में बृजेश हॉस्पिटल को किया।

4. **श्री धानीरामः–** मरीज के तिमारदार (भतीजा) द्वारा अवगत कराया गया कि वे सरकारी चिकित्सालय में गये थे, जहाँ उन्होंने ओ0पी0डी0 पर्चा बनवाया, तदोपरान्त वे मरीज को लेकर बृजेश हॉस्पिटल में गये और हॉस्पिटल द्वारा मरीज का अल्ट्रासाउण्ड कराया और उनसे अल्ट्रासाउण्ड का शुल्क लिया गया। बृजेश हॉस्पिटल द्वारा कहा गया कि पहले सरकारी हॉस्पिटल से रैफर होकर आओ तभी अपका उपचार अटल आयुष्मान योजना के अन्तर्गत होगा। मरीज के तिमारदारों द्वारा सरकारी चिकित्सालय की ओ0पी0डी0 पर्चा दिखाया तो बृजेश हॉस्पिटल द्वारा पहले मना कर दिया फिर उनके द्वारा पर्चा लेकर, योजना के अन्तर्गत उपचार न करते हुए ऑपरेशन के रूपये 10,000/– व दवाईयों के अलग से पैसे लेकर ऑपरेशन किया गया था। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी बताया गया कि हमारे मरीज से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर लिये, जिस पर लिखा था की अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत निःशुल्क उपचार किया गया।

5. **श्री दिनेश लालः–** मरीज की बहू द्वारा अवगत कराया गया कि श्री दिनेश लाल जी की दोनों किडनी फेल हो गयी थी। जिसके उपचार हेतु हम पहले रामनगर के सरकारी अस्पताल गये थे, वहाँ हमने पर्चा बनवाया और डॉक्टर को दिखाने के बाद हम अपने मरीज को लेकर बृजेश हॉस्पिटल में आये। बृजेश हॉस्पिटल द्वारा हमसे ऑपरेशन की फीस रूपये 15000/–ली गयी है पर हमसे बैड चार्ज, अन्दर से दवाईयों के पैसे नहीं लिए गये। मरीज की बहू द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि श्री दिनेश लाल के पहले दो ऑपरेशन हो चुके है तीसरे ऑरेशन के लिए हमने तीन दिन पहले ही आयुष्मान कार्ड बनवाया। हमारे मरीज को डिस्चार्ज करते समय रूपये 1200/– दवाईयों के बृजेश हॉस्पिटल को दिये गये थे।

6. **श्री हर्ष स्वरूपः–** मरीज के तिमारदार (पत्नी) द्वारा अवगत कराया गया कि वे अपने मरीज को लेकर बृजेश हॉस्पिटल में पथरी के उपचार हेतु गये थे, जहाँ डाक्टरों द्वारा बताया गया कि मरीज की पेशाब की नली में पथरी अटक गयी है। बृजेश हॉस्पिाटल में आयुष्मान कार्ड दिखाने के बाद भी रूपये 9,500/– लिये गये। पत्नी द्वारा बृजेश हॉस्पिटल से अल्ट्रासाउण्ड, दवाईयों व ऑपरेशन

2-00-9

के बिल मांगने पर भी उनको बिल नहीं दिये गये और कहा कि रूपये 50,000/– दे जाओ और अपना बिल लेकर जाओ। बृजेश हॉस्पिटल द्वारा कुछ कागजों पर हम जितने लोग हॉस्पिटल में थे सबसे कागजों पर अँगूठे का निशान लिया।

7. **श्री करम सिंहः–** मरीज द्वारा अवगत कराया गया कि उनका पथरी का ऑपरेशन दिनांक 26.03.2019 को बृजेश हॉस्पिटल में हुआ था, ऑपरेशन के लिए हमसे रूपये 16000/– लिए गये। जिसके बिल उक्त चिकित्सालय द्वारा नहीं दिये गये। जब मैं बिल लेने गया था तो डाक्टर द्वारा बताया गया कि अभी हमें पैसे नहीं मिले है, जब पैसे आयेंगे तो हम पैसे आपको वापिस कर देंगे।
8. **श्री किशन सिंहः–** मरीज के तिमारदार (पत्नी) द्वारा अवगत कराया गया कि वे अपने मरीज को लेकर सुबह 11:00 बजे बृजेश हॉस्पिटल में सांस की बीमारी होने के कारण गये थे। रूपये 5,500/– बृजेश हॉस्पिटल ने उनसे लिये और रात्रि 11:00 बजे मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। मरीज की पत्नी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि श्री किशन सिंह की सेहत में कोई सुधार नहीं है और उक्त चिकित्सालय लूटने में लगा हुआ है। आयुष्मान कार्ड लगाया या नहीं इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। मरीज की पत्नी द्वारा बताया गया कि 4–5 दिन बाद वे उपचार के बिल लेने उक्त चिकित्सालय में गयी पर उनको चिकित्सालय द्वारा कोई बिल नहीं दिये गये।
9. **श्रीमती लीला देवीः–** मरीज के द्वारा अवगत कराया गया कि वे पथरी की शिकायत होने के कारण बृजेश हॉस्पिटल में दिनांक 02.03.2019 को भर्ती हुई थीं। उनका ऑपरेशन दूरबीन द्वारा किया गया था। उनके द्वारा बताया गया था कि हमने पहले ही आयुष्मान कार्ड दिखा दिया था। फिर भी उनसे रूपये 10,000/– लिये गये और दवाईयों के पैसे अलग से लिए गये।
10. **श्री मकसूदनः–** मरीज के रिश्तेदार द्वारा अवगत कराया गया है कि उनकी कूल्हे की हड्डी टूट जाने के कारण उनका ऑपरेशन बृजेश हॉस्पिटल में हुआ था जिसके लिए रूपये 5100/– चिकित्सालय द्वारा लिए गये इसके अतिरिक्त बेहोशी, जाँचों व दवाईयों के लिए भी पैसे लिये गये।
11. **श्री मनिन्दर सिंहः–** मरीज द्वारा अवगत कराया गया है कि उनका स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया था। जिस वजह से उनके सिर पर बृजेश हॉस्पिटल द्वारा टांगे लगाये गये और एम0आर0आई0 व एक्स–रे किया गया था। मेरे घरवालों ने मेरे उपचार व जाँचों के लिए कितना भुगतान किया इसकी जानकारी मुझे नहीं है।
12. **श्रीमती मीना देवीः–** मरीज द्वारा अवगत कराया गया कि उनका एक्सीडेंट हुआ था और सिर पर गुम चोट लग गयी थी। 02 दिनों तक मैं बेहोश रही। बृजेश हॉस्पिटल द्वारा उपचार के रूपये 3,000/– जाँचों व दवाईयों के लिए रूपये 10,000/– से 12,000/– लिए गये। हमसे बैड चार्ज नहीं लिया गया।
13. **मेहरू निशाः–** मरीज के तिमारदार (पति मनवर अली) द्वारा अवगत कराया गया कि वे अपने मरीज को लेकर बृजेश हॉस्पिटल में पथरी की शिकायत होने के कारण गये थे। उनके द्वारा आयुष्मान कार्ड दिखाया गया, जिसमें डाक्टर द्वारा बताया गया कि उनका कार्ड केन्सिल कर दिया गया है फिर डाक्टर द्वारा रूपये 5,000/– काउण्टर पर जमा करने के लिए कहा गया और 02 घंटे उपरान्त उनकी पत्नी का ऑपरेशन कर दिया गया। कुछ जाँचे बाहर से करवायी गयी जिसके लिए उन्होने रू0 600/– दिये थे।

22.08.19

14. **मो0 सलमानः–** मरीज के द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी पैर की हड्डी टूटने के कारण वे बृजेश हॉस्पिटल के आई0सी0यू0 में भर्ती रहे। उनके द्वारा बताया गया कि उनके 02 ऑपरेशन हुये है, दूसरा ऑपरेशन 15 दिनों बाद किया गया था ऑपरेशन के रूपये 15,000/– व रूपये 10,000/– लिये गये।

15. **श्रीमती नसरीन जहाँः**– मरीज के द्वारा अवगत कराया गया कि उनका पित्त की थैली का ऑपरेशन बृजेश हॉस्पिटल में हुआ था और उनसे भर्ती के समय काउण्टर पर जो बैठे रहते है उनके द्वारा रूपये 1100/–फीस ली गयी थी। इसके अतिरिक्त हमसे कोई फीस नहीं ली गयी। डिस्चार्ज करते समय हमसे दवाईयों के पैसे लिये गये थे। ऑपरेशन के बाद डाक्टर द्वारा मुझे एक बार भी नहीं देखा गया।

16. **प्रभाः**– मरीज के पति द्वारा अवगत कराया गया कि निमुनिया होने के कारण वे बृजेश हॉस्पिटल में भर्ती रहे। आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद उनसे सी0टी0 स्केन के रूपये 2,000/– दवाईयों के रूपये 1,800/–एक्स–रे के रूपये 250/–व पर्ची के रूपये 200/– कुल रूपये 4250/– चिकित्सालय द्वारा लिये गये। मरीज के पति द्वारा अवगत कराया गया कि उनको सी0टी0 स्केन के बिल के अलावा उक्त कोई बिल घर पर मिल नहीं रहे है।

कुल 18 केसेस में से उक्त 16 केसेस में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के लाभार्थियों से उपचार, दवाईयों व जाँचों के एवज में शुल्क लिया गया है।

इसके अतिरिक्त 02 मरीजों द्वारा लिखित रूप से शिकायत की गयी थी कि बृजेश हॉस्पिटल, रामनगर द्वारा उपचार हेतु अवैध रूप से शुल्क लिया गया है। जिनका विवरण निम्नवत है–

1- **CASE/HOSP5P01962/D15619 No. Amount claimed Rs. 27500/- Paid: मरीज का नाम – मौ0 सलमान,** क्रियान्वयन सहायता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या दिनांक 16.05.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपचार के उपरान्त लाभार्थी का भौतिक सत्यापन करने के दौरान संज्ञान में आया कि बृजेश हॉस्पिटल द्वारा उक्त मरीज से ईलाज के दौरान अनधिकृत रूप से धनराशि की मांग की गई, जो कि लाभार्थी के द्वारा दिये गये बयान से भी स्पष्ट है। लाभार्थी द्वारा बयान दिया गया है कि "मैं मौ0 सलमान पुत्र मौ0 रफी, ग्राम पुछडी रामनगर जिला नैनीताल का निवासी हूँ। 10.03.2019 को मेरा ऐक्सिडेन्ट हो गया था तथा मुझे बृजेश हॉस्पिटल रामनगर में भर्ती कराया गया तभी मेरे परिवार से रू0 4000/– नगद लिये फिर ऑपरेशन करने के बाद रू0 15000/– लिया, फिर 30 दिन की दवाईयां चली फिर दूसरा ऑपरेशन किया तब रू0 8000/– लिये फिर ऑपरेशन के लिये कह रहे है जिसका खर्चा रू0 35000/– बता रहे हैं।"

2- **CASE/HOSP5P01962/D8540 No. Amount claimed Rs. 19800/- Paid: मरीज का नाम – मीना देवी,** क्रियान्वयन सहायता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या दिनांक 16.05.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपचार के उपरान्त लाभार्थी का भौतिक सत्यापन करने के दौरान संज्ञान में आया कि बृजेश हॉस्पिटल द्वारा उक्त मरीज से ईलाज के दौरान अनधिकृत रूप से धनराशि की मांग की गई, जो कि लाभार्थी के द्वारा दिये गये बयान से भी स्पष्ट है। लाभार्थी द्वारा बयान दिया गया है कि "मेरा नाम मीना देवी पत्नी लक्ष्मी दत्त, टेडा

गांव लखनपुर रामनगर की निवासी हूँ मेरा ऐक्सिडेन्ट 14.02.2019 को हुआ था, तत्पश्चात् संयुक्त अस्पताल रामनगर से मुझे हॉयर सेन्टर रेफर किया गया, तत्पश्चात् बृजेश अस्पताल रामनगर में आयुष्मान भारत के अन्तर्गत भर्ती किया गया तथा भर्ती करने के पश्चात प्रारम्भ में ही रू0 4000/– हमसे जमा करवाये गये उसके बाद एक एक्स–रे व सी–टी स्केन करवाये गये थे व समस्त दवाईयों का खर्चा हमसे लिया गया। डिस्चार्ज के समय रू0 70000/– का बिल बनाया गया था जिसमें से रू0 45000/– हमसे चार्ज किये गये थे, बिल मांगने पर हमसे कहा गया कि पूरे रू0 70000/– जमा करो और बिल ले जाओ तथा हॉस्पिटल स्टाफ का व्यवहार भी सही नहीं था तथा 21.02.2019 को हॉस्पिटल से मुझे डिस्चार्ज किया गया था।"

उपरोक्त केसेस से स्पष्ट होता है कि चिकित्सालय द्वारा उपरोक्त वर्णित समस्त रोगियों से जाँचों, दवाईयों एवं सर्जरी हेतु अवैध रूप से शुल्क लिया गया है। साथ ही उपरोक्त रोगियों के क्लेम्स भी टी0एम0एस0 में भुगतान हेतु प्रस्तुत कर दिये गये हैं। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत रोगी को कैशलेस सेवाएं दी जाती है। बृजेश हॉस्पिटल, रामनगर तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुये अनुबन्ध के सेक्शन 8, पैरा 2 एवं एनेक्सर 5, पैरा 1ए के अनुसार

"Section 8: General responsibilities & obligations of the EHCP,

Para 2: The EHCP shall provide **cashless facility** to the beneficiary in strict adherence to the provisions of the agreement."

"Annex 5: Process of Delivery of Benefits, Claim reporting and Submission

Para 1a. Cashless Access of Services (a) The ATAL AYUSHMAN UTTARAKHAND beneficiaries shall be provided treatment free of cost for all such ailments covered under the Scheme within the limits/ sub-limits and benefit limit, i.e., not specifically excluded under the Scheme."

अनुबन्ध के Section 4 के Clause (V) के अनुसार कैशलेस उपचार में निम्न मदें सम्मिलित हैं:–

a. Registration Charges
b. Bed charges (General Ward in case of surgical),
c. Nursing and Boarding charges,
d. Surgeons, Anesthetists, Medical Practitioner, Consultants fees etc.
e. Anesthesia, Blood Transfusion, Oxygen, O.T. Charges, Cost of Surgical Appliances etc,
f. Medicines and Drugs,
g. Cost of Prosthetic Devices, implants,
h. Pathology and radiology tests: radiology to include but not be limited to X-ray, MRI, CT Scan, etc. (as applicable)
i. Food to patient.
j. Pre and Post Hospitalisation expenses: Expenses incurred for consultation, diagnostic tests and medicines before the admission of the patient in the same hospital and cost of diagnostic tests and medicines and up to 15 days of the discharge from the hospital for the same ailment/ surgery. [Pre Hospitalization will be as per package (3 Days) In case of Biopsies it would be relaxed to a maximum of 10 days.]
k. Any other expenses related to the treatment of the patient in the EHCP.

बृजेश हॉस्पिटल, रामनगर द्वारा लाभार्थियों से अवैध रूप से धनराशि वसूल करने के साथ–साथ क्लेम पैकेज के अनुसार क्लेम की धनराशि भी प्राप्त करने हेतु टी0एम0एस0 में क्लेम हेतु प्रेषित कर दी गई है जो कि अनुबंध का उल्लंघन, धोखाधड़ी एवं अवैध धनराशि की वसूली इंगित करता है। हॉस्पिटल द्वारा इस आरोप के सम्बन्ध में अपने उत्तर के Annexure 1 में रोगियों के जो सहमत पत्र लगाये गये हैं, वे प्रथम दृष्टय ही concoted प्रतीत होते हैं। इन सहमति पत्रों का पैटर्न एक जैसा ही है, दिनांक भी अंकित नहीं है। ये सहमति पत्र लाभार्थियों द्वारा स्वयं नहीं लिखे गये हैं। पहले से ही तैयार किये गये पत्रों पर लाभार्थियों के हस्ताक्षर कराये गये हैं। हस्ताक्षर भी प्रथत दृष्टय अविश्वसनीय/फर्जी प्रतीत होते हैं। इस बात की पूरी सम्भावना है कि कारण बताओ नोटिस दिये जाने के पश्चात अपने बचाव में इन्हें Manufacture किया गया है। लाभार्थियों द्वारा कॉल सेन्टर पर टेलीफोन पर दी गयी सूचना पूणतयः नैचुरल है तथा हॉस्पिटल द्वारा प्रस्तुत किये गये सहमति पत्र after thought तथा Artificial है। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत बृजेश हॉस्पिटल द्वारा दिया गया प्रतिउत्तर सन्तोषजनक नहीं है। हॉस्पिटल द्वारा लाभार्थियों से अवैध रूप से धनराशि वसूल किये जाने के साथ–साथ योजना के अन्तर्गत भी क्लेम प्राप्त किया गया है। अतः हॉस्पिटल द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लघंन करते हुये अवैधानिक कृत्य किये गये हैं। हॉस्पिटल द्वारा किये गये क्लेम न केवल निरस्त किये जाने वरन् अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार उस पर अर्थदण्ड लगाये जाने का भी पूर्ण औचित्य है।

कारण बताओ नोटिस संख्या 231/03.06.2019 का आरोप संख्या–01

केस संख्या CASE/HOSP5P01962/S6388 (Preauth appoved amount Rs. 3600, Paid) जो कि Breathing difficulty with COPD के साथ दिनांक 08.02.2019 सांय 3:40 बजे चिकित्सालय में भर्ती हुआ तथा उसे एक नियोजित केस के रुप में आई0सी0यू0 में डा0 बृजेश अग्रवाल द्वारा भर्ती कर परीक्षण उपरांत उपचार आरंभ किया गया। डा0 बृजेश अग्रवाल के द्वारा उसका CBC and CT Thorax परीक्षण कराए जाने की सलाह दी गई परंतु मरीज की गंभीर हालत के कारण CT Thorax न करते हुए केवल CBC कराया गया परंतु CBC की रिर्पोट पर डा0 निकुंज अग्रवाल के द्वारा हस्ताक्षर किये गए जो कि एम0डी0 फीजिशियन के पद पर कार्य कर रहे हैं, जो की पैथोलॉजिस्ट नहीं हैं। मरीज की हालत अत्यधिक गंभीर थी परंतु डाक्टर द्वारा उनका परीक्षण भर्ती की अवधि में कुल 03 बार ही किया गया। अंतिम परीक्षण रात को 10 बजे डाक्टर द्वारा किया गया जबकि मरीज की स्थिति अत्यधिक नाजुक हो गई थी एवं रात 10.30 बजे मरीज का देहांत हो गया था। उपरोक्त तथ्यों से विदित होता है कि बृजेश हॉस्पिटल द्वारा रोगी के उपचार में शिथिलता बरते हुए आई0सी0यू0 के प्रोटोकाल्स का अनुपालन नहीं किया गया जिस कारण मरीज की मृत्यु हो गई।

बृजेश हॉस्पिटल, रामनगर तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुए अनुबंध के सेक्शन 13 पैरा 01 में निम्न प्रावधान है–

Section 13: Indemnities and other Provisions

1. The EHCP will be responsible for the treatment and medical care provided to its beneficiaries. The EHCP will be held responsible for the outcome of treatment or quality of care provided by the provider.

इस प्रकार बृजेश हॉस्पिटल द्वारा केस संख्या CASE/HOSP5P01962/S6388 के मरीज का उपचार करते समय अनुबंध के उक्त वर्णित नियमों का उल्लंघन किया गया है।

कारण बताओ नोटिस संख्या 231/03.06.2019 के आरोप संख्या–01 का प्रतिउत्तर

CASE / HOSP5P01962/56388 Babu Khan, DOA 08/02/2019 DOD 8/02/2019

Patient Babu Khan was a patient of severe pneumonia with septicemia; he was admitted in this hospital in bad condition. His vital were not stable enougha to get CECT thorax done. So, he was immediately shifted to ICU. He was kept on ventilator Support and doctors on duty did everything that can be done to save the patient. Inspite of giving the best treatment to the patient he expired. This is not a case of negligence in treatment of the patient. All the risk related to the patient were explained to the relatives of the patient at the time of admission.

Pathology reports were signed by Dr Nikunj Agarwal who is a MBBS Doctor and has well qualified to do so. Gazette of India for the same is attached as **Annexure II**

कारण बताओ नोटिस संख्या 231/03.06.2019 के आरोप संख्या–01 का विश्लेषण एवं निष्कर्ष

बृजेश हॉस्पिटल द्वारा अपने उत्तर में कहा गया है कि उक्त रोगी का उपचार आई0सी0यू0 में भर्ती कर तुरन्त आरम्भ कर दिया गया था तथा मरीज को ventilatory support पर भी रखा गया था तथा चिकित्सालय द्वारा मरीज को बचाने हेतु हर सम्भव प्रयास किये गये थे। श्रेष्ठ उपचार देने के बाद भी मरीज की मृत्यु हो गयी थी। अतः बृजेश हॉस्पिटल द्वारा मरीज के उपचार में कोई लापरवाही नहीं बरती गयी।

उपरोक्त रोगी के दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरान्त यह तथ्य सामने आये है कि उपरोक्त रोगी को अत्यन्त गम्भीर अवस्था में Breathing Difficulty with COPD की Diagnosis के साथ दिनांक 08.02.2019 को आई0सी0यू0 में डॉ0 अभिषेक अग्रवाल के अधीन भर्ती किया गया था। जिसकी पुष्टि निम्न क्लीनिकल अभिलेखों से होती है, जो बृजेश हॉस्पिटल द्वारा क्लेम के साथ अपलोड किये गये थे।

Name- Mr. Babu Khan, Age 59 years Male
Address- Khatari (Ramnagar) Nainital
Ward/Bed No- ICU-6
Consultant I/C – Dr Abhishek Agrwal
Date of Admission- 08-02-2019 Tuseday 3:40 pm
Date of Discharge- 08-02-2019 Tuseday 10:30 pm (Expired)

बृजेश हॉस्पिटल द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना उत्तराखण्ड में पंजीकृत किये जाने हेतु आन–लाइन आवेदन पत्र में विशेषज्ञ डाक्टरों की सूची में डॉ0 अभिषेक अग्रवाल को MBBS with MS (Gen.Surgery) के रूप में दर्शाया गया है। रोगी बाबूखान को डॉ0 अभिषेक अग्रवाल, जनरल सर्जन की देख–रेख में आई0सी0यू0 में भर्ती किया गया था। रोगी के चिकित्सा अभिलेखों (clinical notes) का परीक्षण करने पर निम्न तथ्य सामने आए है:–

(1) **उपरोक्त रोगी COPD with Breathing Difficulty रोग से ग्रसित था, परन्त उसका उपचार डॉ0 अभिषेक अग्रवाल MBBS, MS(Gen.Surgery) द्वारा किया जा रहा था जो कि बृजेश चिकित्सालय में सर्जन के रूप में कार्यरत है। COPD with Breathing Difficulty रोग से ग्रसित ऐसे रोगी जो कि गम्भीर अवस्था के कारण आई0सी0यू0 में वेंटिलेटर पर था का उपचार बृजेश चिकित्सालय द्वारा**

अत्यन्त लापरवाही बरतते हुए फिजिशियन के स्थान पर सर्जन के अधीन भर्ती कर किया गया है। भर्ती के समय ओ0पी0डी0 स्लिप पर डॉ0 बृजेश अग्रवाल (फिजिशियन) द्वारा रोगी को प्रथम बार देखा जाना अंकित है और उनके द्वारा रोगी को CT Thorax तथा CBC की जाँच कराने की सलाह दी गयी। तत्पश्चात अभिलेखों के अनुसार रोगी का उपचार डॉ0 अभिषेक अग्रवाल (सर्जन) द्वारा किया गया है।

(2) उक्त रोगी जोकि गम्भीर अवस्था में आई0सी0यू0 में COPD with Breathing Difficulty रोग से ग्रसित होने के कारण भर्ती हुआ था उसे मात्र एक बार ओ0पी0डी0 में फिजिशियन डॉ0 बृजेश अग्रवाल द्वारा देखा गया है तथा उसके पश्चात डॉ0 अभिषेक अग्रवाल (जो कि सर्जन हैं) द्वारा भी मात्र दो बार 6:00 PM तथा 10:00 PM पर देखा गया था जबकि आई0सी0यू0 प्रोटोकॉल के अनुसार आई0सी0यू0 में भर्ती रोगियों की मॉनिटरिंग न्यूनतम प्रति घंटा के स्तर पर डाक्टर द्वारा की जानी चाहिये थी।

(3) मरीज के उपचार अभिलेखों से यह भी स्पष्ट होता है कि मरीज की आई0सी0यू0 में Vital Monitoring भी डाक्टर (ई0एम0ओ0) द्वारा न करके स्टॉफ नर्स द्वारा की गयी थी।

(4) सूचीबद्ध चिकित्सालय द्वारा मरीज की मृत्यु के पश्चात 48 घण्टे के अन्दर मृत्यु की सूचना राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण भारत सरकार द्वारा जारी "फ्रॉड इन्वेस्टीगेशन एण्ड मेडिकल ऑडिट मैनुअल" के अन्तर्गत दिये जाने का प्राविधान है, किन्तु उपरोक्त रोगी की मृत्यु की सूचना ब्रीफ समरी के साथ बृजेश हॉस्पिटल द्वारा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) को प्रेषित नहीं की गयी है, इस प्रकार हॉस्पिटल द्वारा NHA की गाइडलाइन्स का भी उल्लघंन किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उपरोक्त रोगी का उपचार बृजेश हॉस्पिटल द्वारा अत्यन्त लापरवाही बरतते हुए फिजिशियन के स्थान पर सर्जन द्वारा किया गया तथा उपचार के दौरान रोगी के Vitals की Monitoring भी आई0सी0यू0 प्रोटोकॉल के अनुरूप नहीं की गयी। अतः समुचित तथा गुणवत्तापूर्वक उपचार न मिलने के कारण रोगी की मृत्यु हो गयी। परन्तु बृजेश हॉस्पिटल द्वारा उक्त सम्बन्ध में मृत्यु के 48 घण्टे के भीतर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को सूचित भी नहीं किया गया। अतः इस सम्बन्ध में बृजेश हॉस्पिटल द्वारा दिया गया प्रतिउत्तर सन्तोषजनक नहीं है तथा क्लेम इन परिस्थितियों में अनुमन्य नहीं है। ऐसे चिकित्सालय जिसके द्वारा गम्भीर अवस्था के रोगी का उपचार अत्यन्त लापरवाही तथा शिथिलता के साथ किया गया हो का अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में सूचीबद्ध रहना भी जनहित में वांछनीय नहीं है।

<u>कारण बताओ नोटिस संख्या 231/03.06.2019 का आरोप संख्या–02</u>

बृजेश हॉस्पिटल द्वारा CASE/HOSP5P01962/D5103 (Preauth appoved amount Rs. 5400, Paid), CASE/HOSP5P01962/D3660 (Preauth appoved amount Rs. 14400, Paid), CASE/HOSP5P01962/D13037 (Preauth appoved amount Rs. 19800, Paid), CASE/HOSP5P01962/S5031 (Preauth appoved amount Rs. 14400, Paid), CASE/HOSP5P01962/S12810 (Preauth appoved amount Rs. 7200, Paid) उक्त समस्त पाँचों मरीजों को Acute and chronic pancreatitis के लिए भर्ती किया गया। उनके सोनोग्राफिक रिर्पोट में pancreatitis दर्षित की गई है जबकि उनकी ब्लड इंवेसटिगेशन (सीरम लाइपेज तथा/अथवा सीरम

अमाइलेज) रिर्पोट में नॉरमल दर्शाया गया है जोकि डायग्नोसिस की पुष्टि नहीं करते हैं परंतु अल्ट्रासाउण्ड रिर्पोट जो की डा0 अभिषेक अग्रवाल द्वारा हस्ताक्षरित हैं, में pancreatitis दर्शाया गया है। उपरोक्त तथ्य यह दर्शाता है कि मिथ्या रिर्पोटिंग करते हुए योजना के अंतर्गत अवैधानिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश की गई है।

कारण बताओ नोटिस संख्या 231/03.06.2019 के आरोप संख्या–02 CASE / HOSP5P01962/S5031 का प्रतिउत्तर

CASE / HOSP5P01962/S5031 Rinku Deval, DOA-02/02/2019 DOD-06/02/2019

This is to bring in your notice that patient Rinku Deval was a patient of Acute Pancreatitis & he was admitted in our hospital with complain of severe pain in abdomen with vomiting. He was having attacks of pancreatitis in the past also, for which he was admitted in the hospital in ICU earlier, same can be confirmed with the patient also. The USG report of the patient is already uploaded. He under went pathology test Amylase and Lipase on 02/02/2019 & 4/02/2019. In both of report these enzymes were raised. These reports have already been uploaded on the Ayushman Portal. Last report of amylase lipase done on 5-2-2019, after treatment come out to be normal. All these reports are attached as **Annexure III.**

कारण बताओ नोटिस संख्या 231/03.06.2019 के आरोप संख्या–02 CASE / HOSP5P01962/S5031 का विश्लेषण एवं निष्कर्ष

बृजेश हॉस्पिटल द्वारा अपने उत्तर में कहा गया है कि उक्त रोगी उल्टी के साथ पेट में दर्द होने व Acute Pancreatitis रोग से ग्रसित होने के कारण हॉस्पिटल में दिनांक 02.02.2019 को भर्ती किया गया था। उसकी अत्यन्त गम्भीर स्थिति को देखते हुए उन्हें आई0सी0यू0 में भर्ती किया गया था। उपरोक्त रोगी की पैथोलॉजी जाँचे दिनांक 02.02.2019, 04.02.2019 तथा 05.02.2019 को गयी थी तथा रोगी का अल्ट्रासाउण्ड भी क्लेम के साथ अपलोड किया गया था। दिनांक 02.02.2019 तथा 04.02.2019 को किये गये पैथोलॉजी जाँचों में S.Amylase तथा S.Lipase के स्तर बढ़े हुये पाये गये तथा उपचार उपरान्त दिनांक 05.02.2019 को S.Amylase तथा S.Lipase के स्तर नॉरमल हो गये थे। उपरोक्त रोगी के अभिलेखो के परीक्षण के उपरान्त निम्न तथ्य सामने आये है–

(1) बृजेश हॉस्पिटल द्वारा अपने उत्तर में कहा. गया है कि उपरोक्त मरीज की 02 पैथोलॉजी जाँचें कमशः दिनांक 02.02.2019 तथा 04.02.2019 को करायी गयी है, जिसमें S.Amylase तथा S.Lipase के स्तर बढ़े हुए दर्शाये गये हैं। परन्तु क्लेम अपलोड करते समय उक्त दोनो पैथोलॉजी की जाँचें अपलोड नहीं की गयी हैं अतः बृजेश हॉस्पिटल द्वारा अपने उत्तर के साथ प्रेषित की गई दिनांक 02.02.2019 तथा 04.02.2019 की नई पैथोलॉजी रिपोर्टस जो क्लेम्स के साथ अपलोड नहीं की गई थी, अब मान्य नहीं हो सकती हैं। चिकित्सालय द्वारा दिनांक 05.02.2019 को करायी गयी पैथोलॉजी जाचें क्लेम के साथ अपलोड की गयी है, जिसमें S.Amylase तथा S.Lipase के स्तर को नॉरमल दर्शाया गया है, जिसे उक्त चिकित्सालय द्वारा अपने उत्तर में स्वीकार किया है तथा कहा है कि उपचार के उपरान्त S.Amylase तथा S.Lipase का स्तर नॉरमल आ गया है। Acute Pancreatitis के केसेस में Medical Standards के अनुसार Serum Lipase का स्तर 07 से 14 दिनों के पश्चात नॉरमल आता है। अतः उपरोक्त मरीज की Acute Pancreatitis डायग्नोसिस पुष्टि

नहीं होती है। बृजेश हॉस्पिटल द्वारा अपने उत्तर में रोगी की नई पैथोलॉजी रिपोर्टस सलंग्न की गयी है, जो अब मान्य नहीं हो सकती हैं।

(2) उक्त रोगी को गम्भीर अवस्था के कारण 3 दिन तक आई0सी0यू0 में भर्ती रखा गया, परन्तु आई0सी0यू0 में भर्ती के दौरान रोगी को विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा प्रतिदिन सिर्फ एक बार देखा गया है, जबकि आई0सी0यू0 में गम्भीर अवस्था में भर्ती रोगी की जॉच विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा न्यूनतम 02 से 03 बार किया जाना वांछनीय है।

(3) रोगी के Vitals की Monitoring भी इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर द्वारा न कर स्टॉफ नर्स द्वारा की गयी है।

अतः उपरोक्त तथ्य यह दर्शाते है कि रोगी को आई0सी0यू0 में भर्ती के दौरान चिकित्सालय द्वारा समुचित गुणवत्ता पूर्वक उपचार नहीं प्रदान किया गया है जो कि अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंधन है। बृजेश हॉस्पिटल द्वारा पैथोलॉजिस्ट के साथ दुरभि सन्धि करते हुए अपने उत्तर में उपरोक्त रोगी की नयी पैथोलॉजी जॉच सलंग्न कर प्रेषित की गयी है, जिसमें S.Amylase तथा S.Lipase के स्तर बढ़े हुए दिखाये गये है। परन्तु भर्ती के 3 दिन बाद S.Amylase तथा S.Lipase के स्तर नॉरमल दर्शाये गये है जो Medical Standards के अनुसार सम्भव नहीं है। अतः बृजेश हॉस्पिटल द्वारा धोखाधड़ी करते हुए उपरोक्त क्लेम का अवैधानिक लाभ प्राप्त किया गया है।

<u>कारण बताओ नोटिस संख्या 231/03.06.2019 के आरोप संख्या–02 CASE / HOSP5P01962/D5103 का प्रतिउत्तर</u>

CASE / HOSP5P01962/D5103 Pralad Singh, DOA-03/02/2019 DOD-08/02/2019: Patient was a case of Acute Pancreatitis & was admitted in this hospital with complain of Acute severe pain in abdomen and vomiting. He was immediately admitted and treatment was started. The USG report of the patient is already uploaded. The report of amylase lipase are attached as **Annexure IV.**

<u>कारण बताओ नोटिस संख्या 231/03.06.2019 के आरोप संख्या–02 CASE / HOSP5P01962/D5103 के प्रतिउत्तर का विश्लेषण एवं निष्कर्ष</u>

बृजेश हॉस्पिटल द्वारा अपने उत्तर में कहा है कि उपरोक्त रोगी Acute Pancreatitis से ग्रसित होने के कारण चिकित्सालय में भर्ती हुआ था उसका उपचार तुरन्त आरम्भ किया गया था। उक्त रोगी की अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट भी क्लेम के साथ अपलोड की गयी है। चिकित्सालय द्वारा उपरोक्त मरीज की नई पैथोलॉजी रिपोर्ट अपने उत्तर के साथ सलंग्न की गयी है, जो अब मान्य नहीं हो सकती हैं। रोगी के क्रियान्वयन सहायता एजेन्सी (ISA) द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के परीक्षण के उपरान्त निम्न तथ्य सामने आये हैः–

1. **बृजेश हॉस्पिटल द्वारा धोखाधड़ी करते हुए उक्त रोगी की 1 वर्ष पूर्व की पैथोलॉजी जाँच रिपोर्ट जो कि भारत पैथोलॉजी सेन्टर द्वारा दिनांक 04.03.2018 को निर्गत की गयी थी को क्लेम के साथ अपलोड कर Acute Pancreatitis के क्लेम का भुगतान प्राप्त किया गया है।**
2. उपरोक्त रोगी के भर्ती के दौरान कोई पैथोलॉजी जाँच नहीं करायी गयी है।
3. आई0सी0यू0 में रोगी के भर्ती के दौरान विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा 24 घंटे में मात्र एक बार परीक्षण कर उपचार किया गया है। जिससे यह सिद्ध होता है कि मरीज की स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हुए

रोगी को समुचित तथा गुणवत्तापूर्वक उपचार नहीं प्रदान किया गया जो कि बृजेश हॉस्पिटल द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत किये गये अनुबन्ध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

4. बृजेश हॉस्पिटल द्वारा धोखाधड़ी करते हुए एक वर्ष पुरानी पैथोलॉजी रिपोर्ट (दिनांक 04.03.2018) क्लेम के साथ अपलोड कर क्लेम का अवैधानिक लाभ प्राप्त किया गया है।

कारण बताओ नोटिस संख्या 231/03.06.2019 के आरोप संख्या–02 CASE/HOSP5P01962/D13037 का प्रतिउत्तर

CASE/HOSP5P01962/D13037 Kavita, DOA-04/03/2019 DOD-10/03/2019 is reported as case of viral hepatitis with jaundice with pancreatitis. The patient was having complaint of severe pain in abdomen with vomiting. Treatment of Patient was started in as soon as possible.

Since patient had all these condition she was shifted to ICU. This is bringing in your notice that hepatitis commonly occurring with pancreatitis and patient was showing symptoms of both. It is for this reason that the package of septicaemia with hepatitis with pancreatitis was blocked.

The patient came with the pathology reports from another laboratory. This report shows raised level of SGOT & SGPT along with raised level of Bilirubin which confirms hepatitis. Reports of amylase and lipase done at hospital show evidence of acute pancreatitis. The USG report of the patient is already uploaded. All the reports of the patients are attached as **Annexure- V**

कारण बताओ नोटिस संख्या 231/03.06.2019 के आरोप संख्या–02 CASE/HOSP5P01962/D13037 के प्रतिउत्तर का विश्लेषण एवं निष्कर्ष

रोगी दिनांक 04.03.2019 को Severe Septicaemia with Viral Hepatitis with Pancreatitis की Diagnosis के साथ बृजेश हॉस्पिटल में भर्ती हुयी थी। उपरोक्त मरीज का अल्ट्रासाउण्ड दिनांक 04.03.2019 को डॉ0 अभिषेक अग्रवाल द्वारा किया गया था जिसकी रिपोर्ट में Pancreatitis दर्शाया गया है। बृजेश हॉस्पिटल द्वारा मरीज की Hepatitis से सम्बन्धित पैथोलॉजी जाँचें क्लेम के साथ अपलोड की गयी है परन्तु Acute Pancreatitis से सम्बन्धित पैथोलॉजी जाँचें जैसे कि S. Amylase/S. lipase की रिपोर्ट क्लेम के साथ अपलोड नहीं की गयी है, जिससे Acute Pancreatitis की डायग्नोसिस की पुष्टि की जा सके। भर्ती के दौरान मरीज की कोई पैथोलॉजी की जाँचें नहीं करायी गयी हैं। अपने उत्तर में बृजेश हॉस्पिटल द्वारा मरीज की नई पैथोलॉजी जाँच सलंग्न की गयी है, जो अब मान्य नहीं हो सकती हैं।

चिकित्सालय ने अपने उत्तर में कहा है कि मरीज की गम्भीर स्थित को देखते हुए उसे आई0सी0यू0 में भर्ती किया गया था परन्तु विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा प्रतिदिन में सिर्फ एक बार रोगी का परीक्षण किया गया है।

रोगी के वाइटल चार्ट में भी किसी इमरजेंसी ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के हस्ताक्षर नहीं अंकित हैं, सिर्फ स्टाफ नर्स द्वारा हस्ताक्षर किये गये है जो कि आई0सी0यू0 प्रोटोकाल के विरूद्ध है।

उपरोक्त तथ्य यह दर्शाते हैं कि उपरोक्त मरीज में Acute Pancreatitis की Diagnosis की पुष्टि नहीं है तथा रोगी को आई0सी0यू0 में भर्ती करने के उपरान्त भी समुचित देखभाल तथा उपचार नहीं किया गया है। अतः बृजेश हॉस्पिटल द्वारा धोखाधडी करते हुए Acute Pancreatitis का अनावश्यक क्लेम अपलोड कर अवैधानिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया है तथा रोगी के आई0सी0यू0 में भर्ती के

दौरान समुचित गुणवत्तापूर्वक उपचार नहीं दिया गया है, जो कि अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन है। अतः उत्तर असन्तोषजनक है एवं प्रस्तुत किया गया क्लेम अनुमन्य नहीं है।

कारण बताओ नोटिस संख्या 231/03.06.2019 के आरोप संख्या–02 CASE / HOSP5P01962/S12810 का प्रतिउत्तर

CASE / HOSP5P01962/S12810 Bheem Ram, DOA-02/03/2019 DOD-05/03/2019: Patient was admitted in Brijesh Hospital with complaint of severe pain abdomen and vomiting. The treatment of the same was started once the patient was admitted in the hospital. Pathology report of the patient shows raised level of amylase & lipase. The USG report of the patient is already uploaded. The pathology report of the patient are attached as **Annexure VI**

कारण बताओ नोटिस संख्या 231/03.06.2019 के आरोप संख्या–02 CASE / HOSP5P01962/S12810 के प्रतिउत्तर का विश्लेषण एवं निष्कर्ष

बृजेश हॉस्पिटल द्वारा अपने उत्तर में कहा है कि अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत उपरोक्त रोगी को दिनांक 02.03.2019 को भर्ती किया गया था। उपरोक्त रोगी को Acute Pancreatitis से ग्रसित होने के कारण दिनांक 02.03.2019 से 04.03.2019 तक आई0सी0यू0 में रखकर उपचार किया गया। मरीज की नयी पैथोलॉजी रिर्पोट उत्तर के साथ सलंग्न की गयी है, जो अब मान्य नहीं हो सकती हैं। उक्त मरीज के अभिलेखों का परीक्षण के उपरान्त निम्न तथ्य सामने आयें हैं–

(1) मरीज के पैथालॉजी टेस्ट जैसे S.Amylase तथा S.Lipase कि जाँचें नॉर्मल अंकित की गयी है। जो कि Acute Pancreatitis में बढ़ी हुई पायी जाती हैं।

(2) **यहाँ यह भी उल्लेखित करना है कि बृजेश हॉस्पिटल द्वारा जालसाजी करते हुए उपरोक्त रोगी का दिनांक 28.03.2019 का अल्ट्रासाउण्ड अपलोड किया गया है जिसमें रोगी को Acute Pancreatitis से ग्रसित दिखाया गया है। यह अत्यन्त आर्श्चय की बात है कि रोगी दिनांक 05.03.2019 को चिकित्सालय से डिस्चार्ज कर दिया गया था तो किस प्रकार दिनांक 28.03.2019 को किये गये अल्ट्रासाउण्ड की रिर्पोट को अपलोड किया गया है।**

(3) बृजेश हॉस्पिटल द्वारा अपने प्रतिउत्तर में नई पैथोलॉजी जाँचें अपलोड की गयी हैं जो अब मान्य नहीं हो सकती हैं।

(4) उक्त रोगी को गम्भीर अवस्था के कारण 3 दिन तक आई0सी0यू0 में भर्ती रखा गया, परन्तु आई0सी0यू0 में भर्ती के दौरान रोगी को विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा प्रतिदिन सिर्फ एक बार देखा गया है।

(5) वाइटल चार्ट में भी इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के हस्ताक्षर नहीं है, सिर्फ स्टाफ द्वारा हस्ताक्षर किये गये है जिससे स्पष्ट है कि आई0सी0यू0 में गम्भीर अवस्था में भर्ती मरीजों की मॉनिटरिंग केवल स्टॉफ नर्स द्वारा की जा रही हैं।

उपरोक्त तथ्य यह दर्शाते है कि रोगी को चिकित्सालय द्वारा समुचित गुणवत्तापूर्वक उपचार नहीं प्रदान किया गया है जो कि अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन है। बृजेश हॉस्पिटल द्वारा मरीज के डिस्चार्ज होने के 24 दिन बाद दिनांक 28.03.2019 की अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट दिनांक 02.03.2019 को प्री–ऑथ के साथ धोखाधड़ी करते हुए अपलोड कर अवैधानिक लाभ प्राप्त किया गया है। अतः बृजेश हॉस्पिटल द्वारा दिया गया प्रतिउत्तर असन्तोषजनक है व क्लेम अनुमन्य नहीं है।

22-04-19

कारण बताओ नोटिस संख्या 231/03.06.2019 के आरोप संख्या–02 CASE / HOSP5P01962/D3660 का प्रतिउत्तर

CASE / HOSP5P01962/D3660 Raghuvar Dutt, DOA-26/01/2019 DOD-31/01/2019: Raghuwar Datt is a case of acute on chronic pancreatitis. He had been admitted in the hospital many times in the past for Acute Pancreatitis, which can be confirmed with patient. This time he was admitted with complain of severe pain in abdomen. Diagnosis made was acute on chronic pancreatitis and treatment for the same is offered to the patient. This is also to bring in your notice that not in every patient of acute pancreatitis amylase and lipase need to raised in every episode of pain. The USG report of the patient is already uploaded.

This is important to being in your notice that in this kind of patient lipase enzyme may or may not be raised as according to medical science. The pathology report of the patient are attached as **Annexure VII**

कारण बताओ नोटिस संख्या 231/03.06.2019 के आरोप संख्या–02 CASE / HOSP5P01962/D3660 के प्रतिउत्तर का विश्लेषण एवं निष्कर्ष

बृजेश हॉस्पिटल द्वारा अपने उत्तर में कहा गया है कि उक्त रोगी को पूर्व में कई बार Acute Pancreatitis के लिए भर्ती किया गया था इस बार उन्हें पेट में तेज दर्द की शिकायत के साथ भर्ती किया गया था। दिनांक 26.01.2019 को उक्त रोगी की पैथोलॉजी रिपोर्ट में S. Amylase तथा S.Lipase की जाँच नॉरमल आयी है।

बृजेश हॉस्पिटल द्वारा अपने उत्तर में यह भी कहा गया है कि Acute on Chronic Pancreatitis के हर रोगी में S.Amylase तथा S.Lipase मे बढ़ोतरी नहीं होती है। मेडिकल सांइस के अनुसार उपरोक्त दोनों में से एक के स्तर में बढ़ोतरी न होना अत्यन्त rare phenomena है। अतः उत्तर असंतोषजनक है। उपरोक्त केस में Acute Pancreatitis की पुष्टि नहीं की जा सकती है। उपरोक्त केस को भी रोगी की गम्भीर स्थित को देखते हुए उसे आई0सी0यू0 में भर्ती किया गया था परन्तु विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा प्रतिदिन में सिर्फ एक बार रोगी का परीक्षण किया गया है तथा रोगी के वाइटल चार्ट में भी किसी इमरजेंसी ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के हस्ताक्षर नहीं अंकित है, सिर्फ स्टाफ नर्स द्वारा हस्ताक्षर किये गये है।

उपरोक्त तथ्य यह दर्शाते है कि उपरोक्त मरीज में Acute Pancreatitis Diagnosis की पुष्टि नहीं की जा सकती है तथा रोगी को आई0सी0यू0 में भर्ती करने के उपरान्त भी समुचित गुणवत्तापूर्वक उपचार नहीं किया गया है। अतः बृजेश हॉस्पिटल द्वारा धोखाधडी करते हुए Acute Pancreatitis का अनावश्यक क्लेम अपलोड कर अवैधानिक लाभ प्राप्त किया गया है तथा साथ ही अनुबन्ध की शर्तों का भी उल्लंधन किया गया है।

कारण बताओ नोटिस संख्या 231/03.06.2019 के आरोप संख्या–03

कतिपय मरीजों द्वारा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण– अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना को यह शिकायत दर्ज कराई गई कि बृजेश हॉस्पिटल, रामनगर द्वारा आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार नहीं प्रदान किया जा रहा है।

मरीज श्री कुलदीप सिंह, जिसका कार्ड संख्या PTC0IK9BZ Prosthatic enlargement grade 3 को ईलाज के लिए योजना के अंतर्गत, जोकि सी0एच0सी0 नैनीडांडा से रेफर होकर आया था, को 28 मई 2019 को भर्ती कर लिया गया। दिनांक 29 मई 2019 के सुबह मरीज के पुत्र श्री विरेन्द्र द्वारा इस

कार्यालय को शिकायत की गई कि चिकित्सालय ने ईलाज के लिए योजना के अंतर्गत मना कर दिया गया है। चिकित्सालय द्वारा मरीज का ईलाज योजना के अंतर्गत न करते हुए अनाधिकृत रुप से मरीज से पैसे ले लिए गए। इस कृत्य से न केवल मरीज को असुविधा एवं मानसिक उत्पीड़न हुआ बल्कि योजना के दिशानिर्देशों के अनुरुप पात्र व्यक्ति को निःशुल्क उपचार भी चिकित्सालय द्वारा नहीं दिया गया।

इसी प्रकार मरीज श्री महानन्द, श्री जाहिद हुसैन एवं अन्य मरीजों द्वारा भी योजना के अंतर्गत बृजेश हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क उपचार न दिये जाने के सम्बन्ध में शिकायत की गई है।

बृजेश हॉस्पिटल को अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना हेतु पात्र मरीजों को निःशुल्क उपचार न दिये जाने के सम्बन्ध में ई–मेल द्वारा पूर्व में दिनांक 29 मई 2019 को सूचित किया गया था कि बृजेश हॉस्पिटल पात्र मरीजों को निःशुल्क उपचार दिये जाने से deny न करे। किंतु बृजेश हॉस्पिटल द्वारा दिनांक 29 मई 2019 को उक्त ई–मेल के जवाब में यह कहा गया कि उनके द्वारा मरीजों को योजना के तहत उपचार देने से रोक दिया गया है।

बृजेश हॉस्पिटल द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के साथ किये गए अनुबंध की धाराओं Section 2(1), 2(2) Section 8(2), 8(5) and Annex 5 (1a) का संज्ञान लिया जाना आवश्यक है। जिनका विवरण निम्नवत है–

Section 2: Scope of Services

1. The EHCP (Empanelled Health Care Provider) undertakes to provide the services to beneficiaries in a precise, reliable and professional manner to the satisfaction of SHA /ISA and in accordance with additional instructions issued by SHA in writing from time to time.

2. The EHCP will treat the beneficiaries according to good business practice.

Section 8: General responsibilities & obligations of the EHCP

2. The EHCP shall provide cashless facility to the beneficiary in strict adherence to the provisions of the agreement.

5. THE EHCP CANNOT DENY THE BENEFICIARY FOR AVAILING BENEFITS UNDER THE SPECIALITY OFFERED BY THE EHCP.

Annex 5: Process of Delivery of Benefits, Claim reporting and Submission

1. Cashless Access of Services
   a. The ATAL AYUSHMAN UTTARAKHAND beneficiaries shall be provided treatment free of cost for all such ailments covered under the Scheme .....'

इस प्रकार बृजेश हॉस्पिटल द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के साथ किये गए अनुबंध की उपरोक्त धाराओं Section 2(1), 2(2) Section 8(2), 8(5) and Annex 5 (1a) का उल्लंघन किया गया है।

कारण बताओ नोटिस संख्या 231/03.06.2019 के आरोप संख्या–03 का प्रतिउत्तर

बृजेश हॉस्पिटल द्वारा उक्त आरोप के प्रतिउत्तर में कहा गया है कि–

A total of about Rs. 20 lacs is pending for the patients treated under Atal Ayushman Yojana. We are a small hospital with limited financial capabilities. This information was given to the CMO Nainital. The pendency of this huge amount did not allow us to take more ayushman beneficiaries in the hospital. We would like you to appreciate the fact that before this

22-08-19

pendency we have never denied treatment to any of the atal ayushman beneficiaries in our hospital.

कारण बताओ नोटिस संख्या 231/03.06.2019 के आरोप संख्या–03 के प्रतिउत्तर का विश्लेषण एवं निष्कर्षः–

आरोप संख्या–03 में मरीज श्री कुलदीप सिंह, जिसका कार्ड संख्या–PTC0IK9BZ Prostate Enlargement grade 3 को ईलाज के लिए योजना के अंतर्गत जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) नैनीडांडा से रैफर होकर आया था, को दिनांक 28.05.2019 को बृजेश हॉस्पिटल द्वारा भर्ती कर लिया गया था।

अगले दिवस दिनांक 29.05.2019 की प्रातः मरीज के पुत्र श्री विरेन्द्र द्वारा कार्यालय को शिकायत की गई कि बृजेश हॉस्पिटल द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत ईलाज करने से मना कर दिया और उक्त हॉस्पिटल ने उपचार के लिए अनाधिकृत रूप से मरीज से धनराशि ली। इस कृत्य से न केवल मरीज को असुविधा हुई एवं उसका मानसिक उत्पीड़न भी हुआ। चिकित्सालय द्वारा योजना के दिशा–निर्देश के अनुरूप पात्र व्यक्ति को निःशुल्क उपचार भी नहीं दिया गया। उपरोक्त मरीज द्वारा बृजेश हॉस्पिटल द्वारा दिये गये उपचार से सम्बन्धित समस्त बिल राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को उपलब्ध कराये गये हैं। मरीज श्री कुलदीप सिंह से बृजेश हॉस्पिटल द्वारा रू0 24000 का बिल देकर भुगतान प्राप्त किया है, जब कि मरीज श्री कुलदीप सिंह के पास आयुष्मान कार्ड उपलब्ध था।

बृजेश हॉस्पिटल को पूर्व में दिनांक 29.05.2019 को राज्य स्वास्थ्य अभिकरण द्वारा ई–मेल प्रेषित कर सूचित किया गया था कि उनके द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क उपचार दिये जाने से deny न करें। (....this is to inform you that hospital cannot deny from giving treatment to the Atal Ayushman Yojana beneficiaries until hospital is empanelled under the scheme, otherwise you will be liable for any inconvenience to the beneficiary patients.)

बृजेश हॉस्पिटल द्वारा उक्त ई–मेल के उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनके द्वारा मरीजों को योजना के अन्तर्गत उपचार देने से रोक दिया गया है। (.....We would also like to state that as we have stopped taking patients due to non settlement of Rs. 20 lacs from your end we are in no way liable for the inconvenience to the beneficiary patients as the liability of the same lies with you as you need to settle our pending amount from your end. Regards Dr. Abhishek Agarwal)

उपरोक्त तथ्य यह दर्शाते है कि बृजेश हॉस्पिटल द्वारा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के साथ किये गये अनुबन्ध का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत बृजेश हॉस्पिटल द्वारा दिया गया उत्तर असंतोषजनक है। मरीज श्री कुलदीप सिंह से बृजेश हॉस्पिटल द्वारा रू0 24000/– का बिल देकर भुगतान भी प्राप्त किया है, जब कि मरीज श्री कुलदीप सिंह के पास आयुष्मान कार्ड उपलब्ध था। अतः आरोप सिद्ध होता है व ऐसे प्रकरण में अनुबन्ध के प्राविधानों के अनुसार अर्थदण्ड लगाये जाने का भी पूर्ण औचित्य है।

22-08-19

–आदेश–

बृजेश हॉस्पिटल, नियर ऐक्सिस बैंक, शिवलालपुर चौराहा, रामनगर, जनपद नैनीताल को आदेश संख्या अ0आ0उ0यो0/2019–20/226 दिनांक 01 जून 2019 एवं 231 दिनांक 03 जून, 2019 के द्वारा जारी कारण बताओ नोटिसों के क्रम में लगाये गये 05 आरोपों के क्रम में उनके द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर के परीक्षण व निष्कर्ष के उपरान्त 04 आरोपों की पुष्टि होती है। तद्नुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA) की गाइडलाइन्स तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) के साथ अनुबन्ध की शर्तों के पालन न होने पर योजना के अन्तर्गत सूचीबद्धता (Empanelment) हेतु अनुबन्ध किये जाने को दृष्टिगत रखते हुये निम्न आदेश पारित किये जाते हैं–

i. बृजेश हॉस्पिटल, नियर ऐक्सिस बैंक, शिवलालपुर चौराहा, रामनगर, जनपद नैनीताल को अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत की गई अनियमितताओं के लिए सूचीबद्ध रखा जाना जनहित में वांछनीय नहीं है। **अतः बृजेश हॉस्पिटल, रामनगर, जनपद नैनीताल की सूचीबद्धता तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये उसका De-empanelment किया जाता है।**

ii. बृजेश हॉस्पिटल, रामनगर, जनपद नैनीताल को कारण बताओ नोटिस सं0 226 दिनांक 01.06.2019 के आरोप संख्या 02 के 18 केसेस (धनराशि रू0 406800/–), कारण बताओ नोटिस सं0 231 दिनांक 03.06.2019 के आरोप संख्या 1 एवं 2 के 6 केसेस (रू0 64800/–), में वर्णित **कुल 24 केसेस (धनराशि रु0 471600/–) के क्लेम निरस्त** किये जाते है।

iii. बृजेश हॉस्पिटल, रामनगर, जनपद नैनीताल के आरोपित कुल 24 केसेस में से 01 केस की धनराशि रू0 19800/– जो उनके द्वारा क्लेम की गई है और जिसका अभी भुगतान नहीं किया गया है, की धनराशि हॉस्पिटल को देय नहीं होगी।

iv. उपरोक्त कुल 24 केसेस में से **23 केसेस की धनराशि रू0 451800/–** जो बृजेश हॉस्पिटल, रामनगर, जनपद नैनीताल द्वारा **प्राप्त की जा चुकी है, की कटौती राज्य स्वास्थ्य अभिकरण द्वारा हॉस्पिटल के लम्बित केसेस के भुगतान से की जायेगी।**

v. कारण बताओ नोटिस 226 दिनांक 01.06.2019 के आरोप संख्या 02 के 18 केसेस में क्लेम की गई धनराशि **रू0 406800/–** जो कि हॉस्पिटल द्वारा क्लेम की गई है, **पर 03 गुना अर्थदण्ड रू0 1220400/–**, कारण बताओ नोटिस 231 दिनांक 03.06.2019 के आरोप संख्या 1 एवं 2 के 6 केसेस में क्लेम की गयी धनराशि **रू0 64800/– पर 2 गुना अर्थदण्ड रू0 129600/–** तथा कारण बताओ नोटिस 231 दिनांक 03.06.2019 के आरोप संख्या 3 के 1 केस में आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद योजना का लाभ न देकर लाभार्थी से क्लेम की गई धनराशि **रु0 24000/– पर 05 गुना अर्थदण्ड रु0 120000/– भी लगाया जाता है। इस प्रकार हॉस्पिटल पर कुल रु0 1470000/–** (1220400+129600+120000=1470000) **का अर्थदण्ड लगाया जाता है।**

vi. बृजेश हॉस्पिटल, रामनगर, जनपद नैनीताल के द्वारा क्लेम किये गये लम्बित कुल 87 क्लेमस् जिसकी कुल धनराशि रू0 1744800/– है। इन 87 केसेस में बिन्दु (iii) में वर्णित आरोपित 01 केस की धनराशि रू0 19800/– भी सम्मिलित है जिसका भुगतान नहीं किया जायेगा। इस प्रकार शेष 86 केसेस (87–01= 86) की धनराशि रू0 1725000/– का भुगतान ही अनुमन्य है।

22-01-19

vii. बृजेश हॉस्पिटल, रामनगर, जनपद नैनीताल के पूर्व में लम्बित समस्त देयकों को अंतिम निर्णय होने तक प्रतीक्षा (abeyance) में रखे जाने के आदेश कारण बताओ नोटिस सं0 226 दिनांक 01.06.2019 एवं संख्या 231 दिनांक 03.06.2019 में दिये गये थे। वर्तमान में उपरोक्त बिंदु (vi) में वर्णित धनराशि रू0 1725000/– का भुगतान बृजेश हॉस्पिटल, रामनगर, जनपद नैनीताल को SHA द्वारा किया जाना है। अतः हॉस्पिटल को भुगतान की जाने वाली इस धनराशि रू0 1725000/– का समायोजन बिंदु (iv) व (v) में वर्णित कुल वसूल की जाने वाली धनराशि रू0 1921800/– (451800+1470000=1921800) से किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः इस समायोजन के पश्चात शेष धनराशि रू0 196800/– (1921800-1725000=196800) चिकित्सालय द्वारा SHA को वापिस करनी होगी।

viii. अतः इस आदेश के बिंदु (vii) में वर्णित **कुल देय धनराशि रू0 196800/–** को बृजेश हॉस्पिटल, रामनगर, जनपद नैनीताल **इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 7 दिन के अंदर राज्य स्वास्थ्य अभिकरण को "CEO ATAL AYUSHMAN UTTARAKHAND YOJANA" के नाम बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा HDFC Bank, Account no. 50100102180582, IFSC code: HDFC 0000225 में RTGS/ NEFT के माध्यम से वापिस करना सुनिश्चित करें।** RTGS/ NEFT के माध्यम से उक्त धनराशि वापिस करने की दशा में Unique Transaction ID इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

ix. निर्धारित अवधि के अन्दर उक्त बिंदु (viii) में वर्णित धनराशि वापिस न करने पर **नियमानुसार वसूली की कार्रवाई अमल में लायी जायेगी।**

x. बृजेश हॉस्पिटल, रामनगर, जनपद नैनीताल द्वारा धोखाधडी, फर्जी दस्तावेज, षड़यंत्र/दुरभि संधि आदि के सम्बन्ध में जो आपराधिक कृत्य किये गये हैं उनके लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराकर पृथक से कार्रवाई की जायेगी।

इस आदेश को डा0 अभिषेक अग्रवाल, संचालक बृजेश हॉस्पिटल, नियर ऐक्सिस बैंक, शिवलालपुर चौराहा, रामनगर, जनपद नैनीताल को ई–मेल से तथा रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाये।

22.08.19

(डा0 अभिषेक त्रिपाठी)
निदेशक– प्रशासन
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA), भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, देहरादून।

5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. Insurance Regulatory and Development Authority of India, Sy No. 115/1, Financial District, Manakramguda, Gachibowli, Hyderabad-500032 को इस अनुरोध के साथ कि वे सभी सम्बन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. नोडल अधिकारी, आई0ई0सी0 को इस अनुरोध के साथ कि वे जन–साधारण को बृजेश हॉस्पिटल, नियर ऐक्सिस बैंक, शिवलालपुर चौराहा, रामनगर, जनपद नैनीताल की सूचीबद्धता समाप्त होने से अवगत कराने हेतु प्रकाशनार्थ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
2. जिला अधिकारी, जनपद नैनीताल।
3. समस्त निदेशक, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA)।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद नैनीताल।
5. राज्य समन्वयक, कियान्वयन सहायता एजेंसी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
6. डा0 अभिषेक अग्रवाल, संचालक, बृजेश हॉस्पिटल, नियर ऐक्सिस बैंक, शिवलालपुर चौराहा, रामनगर, जनपद नैनीताल।
7. आई0टी0 सह डाटा प्रबंधक को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

22.08.19.

(डा0 अभिषेक त्रिपाठी)
निदेशक– प्रशासन
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना